



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2014

पौष 5, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

संख्या 438/91-09-2014

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प०आ०-563

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/1-14-2010-33-(100)-2010 टी.सी.-3, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कम संख्या-31 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां सप्ताहवार बड़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवा संख्या	प्रकरण	निरतारण की समय-सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	2	3	4	5	6	7
32.	औद्योगिक विकास विभाग (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	02	एक- मध्य/उच्च/अति उच्च विभव अधिष्ठापन हेतु प्रथम निरीक्षण हेतु आवेदन (क) 400 के.वी.ए. (ख) 400-5000 के.वी.ए. (ग) 5000-10,000 के.वी.ए.	30 दिन	20 दिन	15 दिन

1	2	3	4	5	6	7
			(घ) 10,000 कं.वी.ए. से अधिक दो- जनरेटिंग सेट के अधिष्ठापन के निरीक्षण हेतु आवेदन (क) 400 कं.वी.ए. (ख) 400-5000 कं.वी.ए. (ग) 5000-10,000 कं.वी.ए. (घ) 10,000 कं.वी.ए. से अधिक	30 दिन	20 दिन	15 दिन
33.	औद्योगिक विकास विभाग (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	04	एक-उद्योग स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण-पत्र)	120 दिन	60 दिन	30 दिन
			दो-वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन की सहमति हेतु आवेदन	120 दिन	60 दिन	30 दिन
			तीन- जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन उत्प्रावह की सहमति हेतु आवेदन	120 दिन	60 दिन	30 दिन
			चार- यथा संशोधित, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन खतरनाक अपव्ययों का संग्रहण/ रिसेप्शन/ट्रीटमेंट/स्टोरेज/डिस्पोजल के लिये ऑथराइजेशन/ ऑथराइजेशन के नवीनीकरण हेतु आवेदन	120 दिन	60 दिन	30 दिन
34.	औद्योगिक विकास विभाग (कारखाना निदेशालय, उत्तर प्रदेश)	02	(1) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन भवन योजना के अनुमोदन हेतु और भवन की दृढ़ता हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन (क) सामान्य			
			(एक) 50 कर्मकारों तक की जनशक्ति रखने वाले गैर खतरनाक कारखाना	30 दिन	15 दिन	15 दिन
			(दो) 51 कर्मकारों से अधिक	45 दिन	30 दिन	15 दिन
			(ख) खतरनाक	90 दिन	30 दिन	15 दिन
			(ग) अति दुर्घटनायुक्त खतरनाक कारखाने	90 दिन	30 दिन	15 दिन
			(2) कारखाना भवन के निर्माण के पूर्व लाइसेन्स के पंजीकरण और स्वीकृति या नवीनीकरण की प्राप्ति हेतु सूचना/आवेदन			

1	2	3	4	5	6	7
			(क) सामान्य			
			(एक) 50 कर्मकारों तक	30 दिन	15 दिन	15 दिन
			(दो) 51 कर्मकारों से अधिक	45 दिन	30 दिन	15 दिन
			(ख) खतरनाक	30 दिन	30 दिन	15 दिन
			(ग) अति दुर्घटनायुक्त खतरनाक कारखाने	30 दिन	30 दिन	15 दिन

आज्ञा से,
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 438 /XCI-09-2014, dated, December 26, 2014:

No. 438 /XCI-09-2014

Dated Lucknow, December 26, 2014

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act, no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act, no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33-(100)-2010 T.C.III, dated January 15, 2011 as amended from time to time :-

AMENDMENT

IN the aforesaid notification, in the Schedule, after entries at serial no. 31 the following entries shall columnwise be inserted, namely:-

Sl.No.	Name of Department	No. of service	Subject	Time Limit for disposal		
				From the date of application	First Appeal	Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7
32	Industrial Development Department (Electrical Safety Directorate)	02	I. Application for Inspection for Medium/High/Extra High Voltage Installation (A) 400 KVA (B) 400-5000 KVA (C) 5000-10000KVA (D) More than 10000 KVA	30 days	20 days	15 days
			II. Application for Inspection of Installation of Generating Set (A) 400 KVA (B) 400-5000 KVA (C) 5000-10000KVA (D) More than 10000 KVA	30 days	20 days	15 days

1	2	3	4	5	6	7
33	Industrial Development Department (Uttar Pradesh Pollution Board)	04	I. Consent to establish industry (NOC) II. Application for Consent for Emission U/S-21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981. III. Application for Consent to Discharge U/S-25/26 of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. IV. Application for Authorization /Renewal of Authorization for Collection/Reception /Treatment /Storage/Disposal of Hazardous Wastes Under Environment Protection Act, 1986 as amended.	120 days	60 days	30 days
34	Industrial Development Department (Directorate of Factories U.P)	02	(1) Application for Building Plan Approval and Issue of Certificate for Stability of Building under the Factories Act, 1948. (a) General (i) Non Hazardous factory having manpower upto 50 workers (ii) Above 51 Workers (b) Hazardous (c) Major Accident Hazard Factories (2) Notice/Application of occupation for Registration and Grant or Renewal of Licence before Construction of the Factory Building (a) General (i) Upto 50 Workers (ii) Above 51 Worker (b) Hazardous (c) Major Accident Hazard Factories	30 days 45 days 90 days 90 days 30 days 30 days 30 days 45 days 30 days 30 days	15 days 30 days 30 days 30 days 15 days 15 days 30 days 30 days 30 days 30 days	15 days 15 days 15 days 15 days 15 days 15 days 15 days 15 days 15 days 15 days

By order,
S. N. SHUKLA,
Pramukh Sachiv,

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 802 राजपत्र (हि०)-2015-(1690)-599 प्रतियां-(कम्प्यू०/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2015-(1691)-500 प्रतियां-(कम्प्यू०/टी०/आफसेट)।